

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 56 / प्र0अ0त0स0 / प्रस्ता0 / जोन-2 / 2015-16 दिनांक: 21 / 09 / 2015

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री रजनीस केसरवानी व श्री रवि केसरवानी पुत्रगण श्री मनमोहन दास द्वारा 179 व नया 207 खलासी लाइन, कीडगंज, सदर, इलाहाबाद (क्षे0 132.61 वर्गमी0) जोन संख्या (3) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 01 अद्द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार एवं भूकम्प रोधी मानकों पर करना होगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करना होगा। जिसमें भूतल पर व्यवसायिक, प्रथम तल पर आफिस व द्वितीय तल पर आवासीय प्रायोजन हेतु निर्माण अनुमन्य किया गया है।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।

Continued



यह स्वीकृत/मिनिमम इत्यादि प्रकृत कले के बाद ही प्रकृत का कार्याचक्र सम्पन्न किया जा सकेगा।  
 21/9/2015  
 इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
 इलाहाबाद








SOUTH H/E SURAJ VERMA

**SCHEDULE OF DOOR WINDOWS & VENTS**

PARTICULAR	NO	SIZE
1 DOOR D <sub>1</sub>	6	1.10 X 2.40
D <sub>2</sub>	3	1.0 X 2.40
D <sub>3</sub>	2	.75 X 2.40
2 WINDOWS		
W <sub>1</sub>	2	1.20 X 1.65
3 VENTS V <sub>1</sub>	2	.51 X .45

**SCHEDULE OF AREA**

- TOTAL AREA OF LAND - 132.461 M<sup>2</sup>
- LAND LEFT FOR ROAD WIDENING - 33.88 M<sup>2</sup>
- NET AREA OF G.F. - 92.73 M<sup>2</sup>
- COVERED AREA OF G.F. - 37.09 M<sup>2</sup>
- COVERED AREA OF F.F. - 37.09 M<sup>2</sup>
- COVERED AREA OF S.F. - 37.09 M<sup>2</sup>
- COVERED AREA OF MUTTY. - 12.90 M<sup>2</sup>
- OPEN AREA OF S.F. - 55.64 M<sup>2</sup>
- COVERAGE OF G.F. - 40.1%
- F.A.R. - 1.19






FRONT ELEVATION SECTION ON X-Y

PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON PART OF HOUSE NO-267 NEW AND OLD NO-179 AT MOHALLA KHALASI LINE KYEDGANJ PARGANA AND TEHSIL SADAR DISTT ALLAHABAD

OWNER:-  
 SRI-RATNISH KESARWANI  
 SRI-RAVI KESARWANI  
 SRI-MANMOHANDAS KESARWANI

THIS IS CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BY LAWS AND NORMAS OF MASTER PLAN ALLAHABAD 2021.



GROUND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

(SCALE 1:100)

KEY PLAN N.T.S

SITE

**S. B. BIRDIE**  
 B. E. (CIVIL), C.E. (I), A.I.V., M.I.E. (INDIA)  
 Chartered Engineer & Govt. Regd. & Licd.

DATE - 4/8/2015 DRG NO - 20/5/8